न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारीः अरविन्द शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 17/2024 FSSA

1. सरकार जरिये डॉ. मदन लाल गूजर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण दौसा, राजस्थान।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री जितेन्द्र गुप्ता पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता एफ.बी.ओ./विक्रेता मैसर्स नाथू लाल चौथ मल हलवाई रेलवे स्टेशन के पास आगरा रोड दौसा (राज.) निवासी पूनम टाकीज के पीछे सुभाष कालोनी के पीछे दौसा राज0।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री प्रकाश चन्द सैनी खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।

: अप्रार्थी अभियुक्त बहस के दौरान अनुपस्थित।

दिनांकः—07.01.2025

—: आदेश :—

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 05.11.2023 को समय 04.11 पी.एम. पर मैसर्स नाथू लाल चौथ मल हलवाई रेलवे स्टेशन के पास आगरा रोड दौसा पर पहुंचा। वहां पर श्री जितेन्द्र गुप्ता पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता मिला को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री जितेन्द्र गुप्ता ने स्वंय को मैसर्स नाथू लाल चौथ मल हलवाई रेलवे स्टेशन के पास आगरा रोड दौसा का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा, श्री जितेन्द्र गुप्ता की उपस्थिति में मैसर्स नाथू लाल चौथ मल हलवाई रेलवे स्टेशन के पास आगरा रोड दौसा का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु नमकीन, मावा निर्मित मिठाई रसगुल्ला, गुलाब जामुन व अन्य मिठाइयां के साथ अन्य मिठाइयां का निर्माण करते हुये पाये गये दुकान में कागज के गतें के कार्टन में 10 किलोग्राम सोन पपडी रिफाइन्ड पॉम ऑयल से निर्मित खुली (Soan Papdi Made From Refined Plam Oil Loose) का निरीक्षण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो विक्रेता श्री जितेन्द्र गुप्ता को नियमानुसार फार्म 5ए की लिखित सूचना देते हुए श्री जितेन्द्र गुप्ता व गवाहान के फार्म 5ए पर हस्ताक्षर करवाये व खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा फॉर्म 5ए की एक प्रति विक्रेता श्री जितेन्द्र गुप्ता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह सोनपपडी रिफाइन्ड पॉम ऑयल से निर्मित खुली (Soan Papdi Made From Refined Plam Oil Loose) को वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु कय कर रहा हूँ, दुकान में लगभग 10 किलोग्राम सोन पपडी रिफाइन्ड पॉम ऑयल से निर्मित खुली को (Soan Papdi Made From Refined Plam Oil Loose) में से 4 साफ व सूखी प्लास्टिक डिब्बों में 500—500 ग्राम (कुल मात्र 2.0 किलोग्राम) सोन पपडी नियमानुसार भरवाकर इलेक्ट्रोनिक मशीन से तुलवाकर सोनपपडी रिफाइन्ड पॉम ऑयल से निर्मित खुली (Soan Papdi Made From Refined Plam Oil Loose) वास्ते मानक स्तर जॉच करवाने हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता श्री जितेन्द्र गुप्ता को 132 रू/—अक्षरे एक सौ बतीस रूपये मात्र नगद देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता व गवाह के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कय किये गये 2.0 किलोग्राम सोन पपडी को श्री जितेन्द्र गुप्ता एवं गवाहान को दिखाकर उक्त को प्लास्टिक के साफ व सूखे चार डिब्बों में बराबर—बराबर प्रत्येक में 500—500 ग्राम सोन पपडी रिफाइन्ड पॉम ऑयल से निर्मित खुली भरकर डिब्बों के ढक्कन लगाकर नियमानुसार एयर

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

Scanned with OKEN Scanner

टाईट बन्द किया तथा नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिये चार लेबल नियामानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. दौसा के कोड एवं कमांक AG-3937 अंकित किया तथा प्रत्येक लेबल पर श्री जितेन्द्र गुप्ता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करायें तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. दौसा की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. AG-3937 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विकेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विकेता एवं गवाहान का पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री जितेन्द्र गुप्ता ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। मौके पर तैयार सभी दस्तावेज अपने कब्जे में लिये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया, दो फार्म सं. 6 की प्रतियां अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर नियमानुसार तैयार किये तथा श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को नमूना का एक तैयारशुदा भाग व बन्द लिफाफा जमा करवाया व शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियां के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को जमा करवाया एवं डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ने श्री महादेव प्रसाद सैनी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को दिनांक 06.11.2023 को श्रीमान खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को तैयार शुदा नमूना व सम्बन्धित दस्तावेज जमा करवाने हेतु भेजा गया एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की। नमूने के शेष दो भाग व चौथा भाग डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा को दिनांक 06.11.2023 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/6859 दिनांक 11.12.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल.एस./4692/एक्ट/2023/4732 दिनांक 21.11.2023 के अनुसार विक्रेता श्री जितेन्द्र गुप्ता गुप्ता से वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया गया सोन पपडी रिफाइन्ड पॉम ऑयल से निर्मित खुली खाद्य सुरक्षा व मानक अधि0 2006 की धारा 3(1)(zx) की पालना नहीं करने के कारण अमानक (Sub-Standard) स्तर का पाया गया है जो कि एफ.एस.एस.ए की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) उल्लंघन है जिसका जुर्माना एफ.एस.एस.ए. की धारा 51 में वर्णित है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध न्याय निर्णय आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त उपस्थित हुआ किन्तु बार–बार अवसर दिये जाने के उपरांत न तो जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया और न ही बहस के दौरान उपस्थित हुआ। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./4692/एक्ट/2023/4732 दिनांक 21.11.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सोन पपडी रिफाइन्ड पॉम ऑयल से निर्मित खुली (Soan Papdi Made From Refined Plam Oil Loose) के नमूने में B.R. Reading 49.2 पाई गयी है जो कि Refined Plam Oil के तय मानको के अनुसार 35.5 से 44.0 तक होनी चाहिये थी। B.R. Reading तय मानको से अधिक पाये जाने के कारण उक्त खाद्य पदार्थ सोन पपडी रिफाइन्ड पॉम ऑयल से निर्मित खुली (Soan Papdi Made From Refined Plam Oil Loose) का नमूना

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

Scanned with OKEN Scanner

अमानक (SubStandard) स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने अमानक (SubStandard) स्तर के खाद्य पदार्थ सोन पपडी रिफाइन्ड पॉम ऑयल से निर्मित खुली (Soan Papdi Made From Refined Plam Oil Loose) का विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन किया है। अतः अधिनियम की धारा 3 (1) (zx) एवं धारा 51 एफएसएसए 2006 में वर्णित प्रावधानो के तहत अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./4692/एक्ट/2023/4732 दिनांक 21.11.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सोन पपडी रिफाइन्ड पॉम ऑयल से निर्मित खुली (Soan Papdi Made From Refined Plam Oil Loose) का नमूना अमानक (SubStandard) स्तर का पाया गया है। उक्त नमूना निर्धारित शुद्धता मानको के अनुरूप नहीं होने से एफएसएसए धारा 26 की उप धारा (II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51एफएसएसए 2006 में वर्णित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अमानक (SubStandard) स्तर के खाद्य पदार्थ सोन पपडी रिफाइन्ड पॉम ऑयल से निर्मित खुली (Soan Papdi Made From Refined Plam Oil Loose) का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त श्री जितेन्द्र गुप्ता पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता एफ.बी.ओ./विक्रेता मैसर्स नाथू लाल चौथ मल हलवाई रेलवे स्टेशन के पास आगरा रोड दौसा निवासी पूनम टॉकीज के पीछे सुभाष कालोनी के पीछे दौसा राज. पर 2,00,000/–रूपये (अक्षरे दो लाख रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 07.01.2026 के एक माह के अन्दर–अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित (Chief Medical & Health Officer Dausa) के मद 0210–04–800–03–00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 07.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

7.1.2026

(अरविन्द शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा
दिनांकः– 07 .01.2026

कमांक/FSSA/ 4-6

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री जितेन्द्र गुप्ता पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता एफ.बी.ओ./विक्रेता मैसर्स नाथू लाल चौथ मल हलवाई रेलवे स्टेशन के पास आगरा रोड दौसा (राज.) निवासी पूनम टाकीज़ के पीछे सुभाष कालोनी के पीछे दौसा राज0।

7.1.2026

(अरविन्द शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

Scanned with OKEN Scanner